भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
चंद्रमौली बिल्डिंग प्लॉट नंबर, 27
वीर सावरकर चौक, शाहनूरवाडी रोड, सम्राट नगर,
औरंगाबाद – 431005 (महाराष्ट्र)

दूरभाष नंबर 0240-2361451 टैलीफैक्स 0240-2361834

संख्या: भाकनि-औ.बाद/विपणन-विक्रय/ट्रांसपोर्टेश/2021/ दिनांक:- 13.01.2021

मैसर्स ____________________
____
____
____

रजिस्टर्ड पोस्ट

विषय:-गांठों के परिवहन दरों के टेण्डर बाबत ।

महोदय,

हम इस पत्र के साथ हमारे विभिन्न केन्द्रो से विभिन्न स्टेशनों पर गांठे परिवहन हेतु टेण्डर फार्म, नियम व शर्तो संबंधी जानकारी संलग्न कर भेज रहे हैं। आप निर्धारित नियमों व शर्तो के अन्तर्गत टेण्डर निर्धारित प्रोफार्मा में **परिवहन दर सभी करों सहित** भरकर दिनांक 27.01.2021 को दोपहर 3.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में जिस पर **"रुई की गांठों के परिवहन कार्य हेतु टेण्डर"** लिखा हो, प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि व समय के पश्चात प्राप्त टेण्डरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कृपया टेण्डर लिफाफे पर अपना पूर्ण पता व दूरभाष नम्बर भी अवश्य लिखें। टेण्डर उसी दिन उपस्थित ट्रांसपोर्टेरो के समक्ष दोपहर 3.30 बजे खोले जायेगे। इस टेण्डर की दरे दि. 01.02.2021 से दि. 31.03.2021 तक लागू रहेगी। **टेण्डर भरने वाले ट्रांसपोर्टर की टेण्डर भरते समय बैंक गारन्टी विधिमान्य (valid) होनी चाहिये। जिस ट्रांसपोर्टर की बैंक गारन्टी टेण्डर खोलते समय विधिमान्य (valid) नहीं होगी उसका टेण्डर मान्य नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टर का रजिस्टर्ड कामन कैरियर होना आवश्यक हैं। निविदा सबंधी नियम व शर्तो की पूर्ण जानकारी वेबसाईट (Website:-www.cotcorp.org.in** Government portal www.eprocure.gov.in **पर भी देखी जा सकती हैं।**

निविदाकर्ता को निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करना चाहिये:-

1. लिफाफा 'अ' : लिफाफे के ऊपर "Technical Bid" लिखा जाना चाहिये,जिसमें Technical Bid" रखी जानी चाहिये। अनुलग्नक-I
2. लिफाफा 'ब' : लिफाफे के ऊपर "Financial Bid" लिखा जाना चाहिये जिसमें Financial Bid" रखी जानी चाहिये। अनुलग्नक-II
3. लिफाफा 'स' :उपरोक्त दोनों लिफाफे 'अ' और 'ब' इस लिफाफे 'स' में रखे जाना चाहीये ।

सधन्यवाद,

भवदीय
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

उप महाप्रबंधक

संलग्न:-यथोपरि

प्रतिलिपि

1. महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / शाखा प्रबंधक,
   भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
   शाखा ____________________________
   सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध हैं कि कृपया आपकी शाखा के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक गारन्टी वाले ट्रांसपोर्टर को इसकी जानकारी दें।
2. महाप्रबंधक (क्रय)
   भाकनि लि.
   मुंबई

भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
चंद्रमौली बिल्डिंग प्लॉट नंबर, 27
वीर सावरकर चौक, शाहनूरवाडी रोड, सम्राट नगर,
औरंगाबाद – 431005 (महाराष्ट्र)
दूरभाष नंबर 0240-2361451 टैलीफैक्स 0240-2361834

संख्या: भाकनि-औ.बाद/विपणन-विक्रय/ट्रांसपोर्टेशं/2021/ दिनांक:- 13.01.2021

<u>टेण्डर नोटीस</u>

निगम शाखा कार्यालय औरंगाबाद के अधीनस्थ केंद्रो से देश के विभिन्न भागों में गांठो के परिवहन हेतु टेण्डर आमंत्रित करता हैं । टेण्डर फार्म, नियम व शर्तो का प्रोफार्मा निगम के कार्यालय से कार्य दिवस में कार्यालय समय से प्राप्त किया जा सकता हैं । टेण्डर भरने वाले परिवहनकर्ता की 20.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी निगम के पास विधिमान्य होना अनिवार्य हैं। पूर्ण रूप भरे गए निविदा फार्म दिनांक 27.01.2021 को दोपहर 3.00 बजे तक बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। **इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टर का रजिस्टर्ड कामन कैरियर होना आवश्यक हैं।** टेण्डर उसी दिनांक 27.01.2021 को दोपहर 03.30 बजे उपस्थित ट्रांसपोर्टरों के समक्ष खोले जायेंगे। निगम किसी भी टेण्डर को आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हैं।निविदा अस्वीकार होने की अवस्था में निविदादाता अस्वीकार किये जाने के कारण की जानकारी शाखा कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं।

निविदा संबंधी टेण्डर, फार्म, नियम एवं शर्तो की पूर्ण जानकारी वेबसाईट

निविदाकर्ता को निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करना चाहिये:-

1. लिफाफा 'अ' : लिफाफे के ऊपर "Technical Bid" लिखा जाना चाहिये,जिसमें Technical Bid" रखी जानी चाहिये। अनुलग्नक-I
2. लिफाफा 'ब' : लिफाफे के ऊपर "Financial Bid" लिखा जाना चाहिये जिसमें Financial Bid" रखी जानी चाहिये। अनुलग्नक-II
3. लिफाफा 'स' :उपरोक्त दोनों लिफाफे 'अ' और 'ब' इस लिफाफे 'स' में रखे जाना चाहीये ।

(Website :- www.cotcorp.gov.in Government portal www.eprocure.gov.in**) पर उपलब्ध हैं।**

निविदा कार्य अवधि	01.02.2021 से 31.03.2021
निविदा फार्म मिलने की अंतिम तारीख एवं समय	27.01.2021 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा डालने की अंतिम तारीख एवं समय	27.01.2021 दोपहर 03.00 बजे तक
निविदा खुलने की तारीख एवं समय	27.01.2021 दोपहर 03.30 बजे तक

“Technical Bid”

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

रुई की गांठें प्रेषित करने एवं टेण्डर भरने के लिये शर्ते

1. दरें 01.02.2021 से 31.03.2021 तक के लिए मान्य होंगी ।
2. सभी गांठें ट्रांसपोर्टरों को सड़क परिवहन द्वारा ही भेजनी पड़ेगी। यह किसी भी कारणवश सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती। इसके लिए ट्रांसपोर्टर को अपनी न्यनतम दर प्रति गांठ देनी पड़ेगी । ट्रांसपोर्टर द्वारा दी गई प्रति गांठ में लोडिंग / अनलोडिंग व अन्य उचित खर्चे (इन्सीडेंटल खर्चे) शामिल होंगे। ट्रांसपोर्टर द्वारा टेण्डर में एक बार भरी गई दर फाइनल मानी जायेगी और निगम इस टेण्डर की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल,पेट्रोल, टायर व अन्य कलपुर्ज़ों के रेट बढ़ाने या कोई टैक्स बढ़ाये जाने पर निगम ज़िम्मेवार नहीं होगा। उस हालत में भी ट्रांसपोर्टर उन्हीं दरों पर काम करने के लिए बाध्य होगा । अतः टेण्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती ।
3. गांठे द्वार प्राप्ति (डोर डिलीवरी) के आधार पर बुक की जायेगी। दिये गये के केन्द्रों / गोदामों से गांठें उठाकर गंतव्य स्थान का पता, जो भी हो पहुंचानी होंगी। यदि गंतव्य स्थान पर पहुंच कर गांठों की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता हैं तो ऐसी हालत में 50 कि. मी. तक की डाइवर्शन के लिए ट्रांसपोर्टर को कोई डाइवर्शन चार्ज नहीं दिया जायेगा।
4. गांठे गंतव्य स्थान पर ट्रकों के पहुंचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेंगी। जो ट्रक पहले पहुंचेगा, उसको पहले उतारा जायेगा। ऐसी हालत में अगर ट्रक लाइन लंबी हो जाती हैं तो ट्रांसपोर्टर को कोई रिटेंशन चार्ज नहीं दिया जायेगा।
5. डी.ओ. जारी होने के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरंत गांठे भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा गांठों की डिस्पैच के तुरंत पश्चात ट्रांसपोर्टर को जी.आर. नंबर व गांठों का विवरण तुरंत अगले दिन शाखा कार्यालय औरंगाबाद को सूचित करना होगा ।
6. गांठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर गांठों की पूरी निगरानी रखेगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान गांठें तिरपालों से ढंकी होनी चाहिये। किसी भी कारणवश परिवहन के दौरान गांठों को होने वाली हानि के लिए ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा ।
7. ट्रकों की हालत अच्छी होनी चाहिये। अगर ट्रकों में पहले लदा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही गांठें लोड की जायें। ऐसा न करने पर गांठों की यदि कोई क्षति होती हैं तो विवेकानुसार उचित कटौती की जाएगी।
8. प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक स्टेटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गांठों की संख्या, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पैच की तिथि स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये।

9. सीलबंद टेण्डर एक बंद लिफाफे में निगम के पते पर भेजना होगा । लिफाफे पर स्पष्ट तौर पर ट्रांसपोर्टर का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य हैं *** कपास की गांठों के परिवहन हेतु टेण्डर*** ।

10. टेण्डर शाखा कार्यालय औरंगाबाद में दिनांक 27.01.2021 को दोपहर 3.00 बजे तक पहुंचने अनिवार्य होंगे । इस समय के पश्चात प्राप्त टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, केवल सीलबंद लिफाफे में निर्धारित प्रोफार्मा में ही टेण्डर भरा जाना चाहिये, फैक्स द्वारा प्रेषित टेण्डर मान्य नहीं होंगे । टेण्डर उसी दिन उपस्थित ट्रांसपोर्टर के सामने दोपहर 3.30 बजे खोले जायेंगे ।

11. यदि दो या दो से अधिक ट्रांसपोर्टर एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो यह टेण्डर कमेटी के पूर्ण अधिकार में होगा कि ट्रांसपोर्टर को कार्य दें अथवा रिटेण्डर या संबंधित ट्रांसपोर्टरों में प्रतिस्पर्धा करायें ।

12. कोई भी टेण्डर या सभी टेण्डर या उसका कोई भाग बिना कारण बतायें टेण्डर कमेटी द्वारा रद्द किया जा सकता हैं ।

13. टेण्डर फार्म में दर्शायी गयी सभी शर्तों के फलस्वरूप यदि कोई विवाद, शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम के सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा कि उसका क्या निर्णय लिया जाये । ऐसी हालत में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। किसी प्रकार के कानूनी विवाद के निपटारे के लिए अधिकार क्षेत्र न्यायालय औरंगाबाद होगा।

14. गांठें लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी जी.आर.के. आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिये। यातायात के दौरान किसी भी गांठ में लॉट्स की मिलावट नहीं होनी चाहिये। गांठें सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुंचानी अनिवार्य होंगी। गांठों को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर बीच में किसी ट्रांसशिपमेंट के बगैर प्रेषण करना होगा। किसी कारणवश संभव न हो तो एक से ज्यादा ट्रांसशिपमेंट की अनुमति नहीं होगी।

15. ट्रांसपोर्टर द्वारा गांठें निकासी के निर्धारित समय से निम्न प्रकार दिनों के अंदर-अंदर गंतव्य स्थान पर पहुँच जानी चाहिये अन्यथा 2/- रु.प्रति गांठ, प्रति दिन की पैनाल्टी ट्रांसपोर्टर के बिल से काटी जायेगी।

डी.ओ.प्राप्ति	1000 गांठों तक डी.ओ. प्राप्ति दिनांक से	1000 से अधिक गांठों तक डी.ओ. प्राप्ति दिनांक से
* महाराष्ट्र के लिए	5 दिन अधिकतम	7 दिन अधिकतम
* अन्य जगहों के लिए	8 दिन अधिकतम	10 दिन अधिकतम

(रविवार और छुट्टी का दिन छोडकर)

16. निर्यात या अन्य किसी कारण से यदि गांठें **टू बी बिल्ड** के आधार पर भेजी जाती हैं तो **टू बी बिल्ड** जाने वाली गांठों का भुगतान बिल प्रेषित के 15 दिन के अंदर-अंदर किया जायेगा । चैक पोस्ट (नाका पोस्ट) पर चुंगी की अदायगी ट्रांसपोर्टरों को नियमानुसार करनी होगी और चुंगी की रशीद प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा । निर्यात हेतु भेजी जाने वाली गांठों पर चुंगी नहीं लगेगी । इस संबंध में आवश्यक प्रोफार्मा सामान्य तौर पर उपलब्ध करा दिये जाते हैं पर यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी कि आवश्यक फार्म खुद भरें तथा साथ में ले जायें चुंगी की अदायगी के अलावा किसी भी प्रकार के खर्चे का भुगतान नहीं किया जायेगा जिसे ध्यान में रखकर परिवहनकर्ता अपने दर निविदा में डाले।

17. यदि कोई दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती हैं तो प्रेलिमिनरी सर्वे करायें बिना वहां से ट्रक तथा सल्वेज को न हटायें, क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरंत करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, औरंगाबाद को भी तुरंत देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी।

18. ट्रांसपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिल्टी / जी.आर. प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा। (जी.आर. की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी)

19. केवल बैंक गारेन्टेड ट्रांसपोर्टरों से शाखा कार्यालय, औरंगाबाद क्षेत्र से संलग्न सूची अनुसार विभिन्न स्थानो पर गांठों को पहुंचाने के लिए **टू पे / टू बी बिल्ड** टेण्डर मांगे जाते हैं ।

20. बैंक गारेन्टेड ट्रांसपोर्टर वे ही माने जायेंगे जिन्होंने निगम के किसी भी कार्यालय में रु. 20.00 लाख की बैंक गारंटी दी हुई हैं । टेण्डर फाइनल करते समय ट्रांसपोर्टर को निगम के उस कार्यालय का पत्र व बैंक गारंटी की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी और यदि ट्रांसपोर्टर बैंक अनुमोदित (Approved) हैं तो इसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

21. ट्रांसपोर्टर अपना कार्यालय औरंगाबाद में रखने की व्यवस्था करेगा, जहाँ उसे डी.ओ. सौपने की सूचना दी जा सके। केवल उन्ही ट्रांसपोर्टर को निविदा मे भाग लेने की अनुमति होगी जिनकी बैंक गारंटी निविदा को अंतिम रूप देते समय वैध पाई जायेगी । यदि किसी ट्रांसपोर्टर की बैंक गारंटी अवधि के बीच में समाप्त होती है तो उसका नाविनिकरण करवाकर निगम के पास एक सप्ताह के अंदर जमा करवानी होगी अन्यथा उन्हे आबंटित कार्य निरस्त किया जा सकता हैं ।

22. ट्रांसपोटेशन का कार्य केवल उन्ही ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड कामन कैरियर हो तथा उन्हे निविदा के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

23. 1 जुन 2015 के बाद किसी भी परिवहनकर्ता के पास 10 गुड्स कैरियर तक हैं तो उससे TDS की कटौती नहीं की जायेगी जिसके लिए परिवहनकर्ता को संलग्न की गये निर्धारित प्रारूप को स्वय के लेटर हेड पर लिखकर देना अनिवार्य हैं, अगर 10 से ऊपर गुड्स कैरियर हैं तो उससे TDS की कटौती की जायेगी। परिवहन कर्ता पैन कार्ड की छायाप्रती संलग्न करे। यदि संलग्न प्रारूप में declaration नहीं दी तो TDS की कटौती की जाएगी।

24. बिलों से टी.डी.एस., सरचार्ज एवं अन्य कर तत्कालीन नियमानुसार काटा जायेगा।

25. ट्रांसपोर्टर अपने कार्यालय के साथ-साथ आवास का पता एवं टेलीफोन / टैलेक्स, फैक्स नंबर भी अपने टेण्डर में दें ।

26. परिवहनकर्ता यदि गांठों के निकासी आदेश प्राप्त करने, उठाने एवं समय से गांठों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में निगम स्वीकृत दर का टेण्डर निरस्त करके अन्य परिवहनकर्ता को कार्य देने का विकल्प अपने पास सुरक्षित रखता हैं। इस कारण निगम को होने वाली हानि की वसूली मूल परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

27. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आरबीट्रेशन व रिंकसीलेशन एक्ट 1996 के प्रोविजन के अंतर्गत शासित होगा । मध्यस्थ की बैठक का स्थान औरंगाबाद रहेगा।

28. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में औरंगाबाद न्यायलय का ही क्षेत्राधिकार होगा।

29. यदि एक ही लॉट की गांठें दो अलग-अलग तिथियों में पहुँचती हैं तो बाद में पहुँची गांठों की तिथि ही पूरे लॉट के लिए मानी जायेगी ।

30. निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुये एक या अधिक ट्रांसपोर्टरस को अनुबंधित करे।

31. गांठें कान्ट्रेक्ट अनुसार तथा लॉट अनुसार उठाई जाये तथा एक लॉट की गांठों को दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जाये तथा परिवहनकर्ता इस प्रकार से गांठें भेजें जिससे दोनों भाग अनिवार्य रूप से गंतव्य स्थान पर साथ-साथ पहुंचे।

32. एक ट्रक में समान्यतः एक ही लॉट की गांठें लोड की जायेंगी । यदि संभव न हो तो दो लॉट से ज्यादा एक ट्रक में मिक्स नहीं की जायेंगी । यदि दो से अधिक लॉट्स की गांठें मिक्स पाई गई तो 10/- रूपये प्रति गांठ के हिसाब से दण्ड लगेगा ।

33. टेण्डर भरने वाले ट्रांसपोर्टरों द्वारा उपरोक्त शर्ते ध्यान में रख लेनी चाहिये । एक बार टेण्डर भरने के बाद यह माना जायेगा कि ट्रांसपोर्टर ने इस फार्म में दी गई सभी शर्ते ध्यान से पढ़ ली हैं व इन शर्तो को मानते हैं और इन शर्तो के अंतर्गत कार्य करने के लिए तैयार व बाध्य हैं। ट्रांसपोर्टर द्वारा टेण्डर में अलग से यदि कोई अपनी शर्त दी जाती हैं तो वह निगम को किसी भी हालत में मान्य नहीं होगी।

34. जीएसटी ई-वे बिल निगम के स्टॉक के परिवहन के लिये जीएसटी अधिनियम के प्रावधान के तहत परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा। यदि ई-वे बिल जनरेट करने में किसी प्रकार की त्रुटि होती हैं अथवा ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जाता हैं तो देयता की वसूली निगम द्वारा परिवहनकर्ता से की जायेगी।

35. जिन परिवहनकर्ताओ की निविदाये निगम द्वारा स्वीकृत की जायेगी उनको निगम के साथ 100/- रूपये के स्टैम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा तथा Authorized Signatory का नाम भी सूचित करना होगा।परिवहन कार्य, परिवहनकर्ताओ द्वारा कथित अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात ही आबंटित किया जायेगा।

36. मैंने निगम के सभी नियम एवं शर्ते ध्यान से पढ़ ली हैं तथा हम इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य करने के लिए तैयार एवं बाध्य हैं ।

<u>निर्यात हेतु भेजी जाने वाली गांठों के लिये अतिरिक्त शर्ते</u>

1. जिस ट्रक से निर्यात की गांठें परिवहन की जा रही हैं, उसको पूर्ण रूप से त्रिपाल द्वारा कवर कर गांठों का परिवहन किया जायेगा। परिवहन के दौरान गांठों में किसी प्रकार की होने वाली क्षति के लिये परिवहनकर्ता जिम्मेवार होगा।
2. निर्यात के लिये गांठों की लोडिंग लॉटवार की जायेगी । एक ट्रक में 2 लॉट से अधिक की गांठें मिलाकर परिवहन नहीं की जायेंगी।
3. शाखा द्वारा दिये गये डी.ओ. के दिनांक क्रमवार निर्यात के लिये गांठों का परिवहन करना होगा ।
4. जिस ट्रक से निर्यात की जाने वाली गांठों का परिवहन किया जा रहा हैं उस ट्रक में किसी प्रकार का रसायन / कोयला अथवा ऐसा कोई पदार्थ भंडारित नहीं होना चाहिये जिससे गांठों को क्षति पहुँचे अथार्त ट्रक की पूर्ण साफ-सफाई के बाद निर्यात की जाने वाली गांठें ट्रक में लोड करके परिवहन की जानी चाहिये।

5. गांठों का परिवहन कर शाखा कार्यालय से डी.ओ. प्राप्त होने के तत्काल बाद निम्न विवरण अनुसार गांठों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाना होगा अन्यथा 10/- रु. प्रतिगांठ की दर से परिवहन बिल से कटौती की जायेगी:-

डी.ओ. प्राप्ति	1000 गांठों तक डी.ओ. प्राप्ति की दिनांक से	1000 गांठों से ऊपर डी.ओ. प्राप्ति की दिनांक से
मुम्बई/कालम्बोली के लिये	5 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोडकर)	7 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोडकर)
कोलकता(हावडा)	8 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोडकर	10 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोडकर

6. परिवहनकर्ता द्वारा दूरभाष पर डी.ओ. तैयार होने की पुष्टि से 24 घंटे के अंदर शा.का. से डी.ओ. प्राप्त करना होगा एवं 48 घंटे के अंदर संबंधित गोदाम पर गाँठे लोड करने हेतु गाडी लगानी होगी।
7. परिवहनकर्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि निगम की गाँठे ले जाने वाले ट्रक में Break down की स्थिति आती हैं तो वे तत्काल गांठों को Trans-shipment करवाकर उपरोक्त निर्धारित समयावधि में गांठों को गंतव्य स्थान पर पहुंचायेंगे।
8. दिये गये डी.ओ. के विरुद्ध प्रतिदिन कम से कम 1000 गांठों का परिवहन औरंगाबाद शाखा के अंदर आने वाले केन्द्रों से गंतव्य स्थान के लिये करना होगा।
9. निर्यात में भेजी जाने वाली गांठों के परिवहन के लिये 60% कार्य L1 को आबंटित किया जायेगा एवं 40% कार्य L2 को आबंटित किया जायेगा, बशर्ते यदि L2, L1 की दरों पर कार्य करने के लिये सहमत होगा।
10. अगर L1 एवं L2 उपरोक्त दिये गये समय के अंतर्गत गांठों का परिवहन नहीं करते हैं तो गांठें परिवहन के लिये किसी अन्य परिवहनकर्ता से कार्य करवाते हुये निगम को होने वाली वितीय हानि की वसूली L1 एवं L2 से की जायेगी।
11. निर्यात के लिये भेजी जाने वाली गांठों का पूर्ण विवरण शाखा कार्यालय को फैक्स एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देना होगा जिसमें लॉट नंबर, केन्द्र का नाम, लॉरी संख्या, रिसीप्ट नंबर एवं डिस्पैच दिनांक आदि विवरण अंकित होगा।
12. भेजी जाने वाली गांठों के परिवहन बिल का भुगतान शाखा कार्यालय में बिल प्राप्त होने के बाद 7 दिन के अंदर परिवहनकर्ता को किया जायेगा जिसमें से 10% जमा राशि की कटौती की जायेगी जो कार्य समाप्त होने के उपरांत वापिस की जायेगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज निगम द्वारा नहीं दिया जायेगा।
13. शाखा कार्यालय से डी.ओ. प्राप्त करने से 48 घंटे के अंदर केन्द्र से गांठों की सुपुदगी लेनी होगी।

ट्रांसपोर्टर का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

स्थान:-

दिनांक:-

“Financial Bid”-II

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

शाखा कार्यालय : औरंगाबाद

01.02.2021 से 31.03.2021 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रम संख्या	**गंतव्य स्थान**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**	**दर प्रतिगांठ**
		To pay	**To pay**	**To pay**	**To pay**	**To pay**	**To pay**	**To pay**	**To pay**	**To pay**	**To pay**
	जिला	**औरंगाबाद**	**जालना**	**बीड**	**परभणी**	**हिंगोली**	**नांदेड़**	**नंदुरबार**	**जलगांव**	**अहमद नगर**	**धूलिया**
		के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र
1	वेरार(अचलपुर)										
2	हिंगनघाट										
3	सोलापुर										
4	कोल्हापुर										
5	बार्शी										
6	मुंबई										
7	बुरहानपुर										
8	भोपाल										
9	कोयम्बतुर										
10	पाँडीचेरी										
11	अहमदाबाद										
12	राजना										
13	चित्रादुर्गा										
14	Central Silvar Plant,Etah										
15	Central Silvar Plant, Hajipur										
16	Central Silvar Plant, Sehore										
17	Central Silvar Plant, Raebrarelly										
18	Central Silvar Plant, Chitradurg										
19	Central Silvar Plant, Thiruchur										

1. मैंने निगम की संलग्न नियम एव शर्ते पढ़ ली है और मान्य है।

ट्रांसपोर्टर का नाम हस्ताक्षर /सील

____

____

2. परिवहन दरों मे लोडिंग /अनलोडिंग शामिल है ।

स्थान:- ____________________________

दिनांक:- ____________________________

भारतीय कपास निगम

शाखा कार्यालय : औरंगाबाद

निर्यात मे भेजी जानेवाली गाँठो के लिए परिवहन निविदा फार्म दि.01.02.2021 से 31.03.2021 के लिए

(जिला अनुसार)

दर प्रतिगांठ (रूपये)

क्रम संख्या	गंतव्य स्थान	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ
		To be Billed	**To be Billed**	**To be Billed**	**To be Billed**	**To be Billed**	**To be Billed**	**To be Billed**	**To be Billed**	**To be Billed**	**To be Billed**
	जिला	**औरंगाबाद**	**जालना**	**बीड**	**परभणी**	**हिंगोली**	**नांदेड़**	**नंदुरबार**	**जलगांव**	**अहमदनगर**	**धूलिया**
		के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र	के सभी केन्द्र
1	**कलम्बोली (मुंबई)** **Kalamboli (Mumbai)**										
2	**पेट्रापोल (पं बंगाल)** **Petrapole (W.B.)**										
3	**हल्दिया (पं बंगाल)** **Haldia (W.B.)**										

निगम की संलग्न नियम एव शर्ते पढ़ ली है और मुझे मान्य है ।

परिवहन दरों मे लोडिंग अनलोडिंग शामिल है

ट्रांसपोर्टर का नाम हस्ताक्षर / सील

स्थान : ____________________________

दिनांक : ____________________________

Declaration under Section 194C(6) for Non-deduction of Tax at Source

Date

To,
M/s. The Cotton Corporation of India Ltd.
B.O. ____________

Declaration

I , Mr. _________________ (Proprietor/ Partner/Director) of M/s. _____________ _______, ____ (Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the Income Tax Act, 1961 for receiving payments from the payer without deduction of tax at source.

1. That I am authorized to make this declaration in the capacity as Proprietor.
2. That I am engaged by the payer for plying, hiring or leasing of goods carriage for its business.
3. That I do not own more than ten goods carriage as on date.
4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the year 2020-21 (01.02.2021 to 31.03.2021), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.
5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is _______________. A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.
6. The I am hereby gives an undertaking to submit duly prescribed form of declaration as notified by the Income tax department.

Place:
Dated: Declarant

VERIFICATION

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my own knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place:
Dated: Name of the Declarant and Signature